न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 88/2016

मंगल सिंह पुत्र तोता जाति नाई निवासी 2 के के तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. बलवीर सिंह पुत्र तोता सिंह जाति नाई निवासी 2 के के तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरदेव सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति नाई निवासी 2 के के तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. हरबन्स कौर पत्नी लाभसिंह पुत्री मुखत्यारसिंह जाति नाई निवासी तामकोट तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. कालो बाई पत्नी टहल सिंह पुत्री मुखत्यार सिंह जाति नाई निवासी 71 जी बी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. लालो पत्नी जगरूप सिंह पुत्री मुखत्यारसिंह जाति नाई निवासी लीलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. बीरपालकौर पत्नी दर्शन सिंह पुत्री मुखत्यार कौर जाति नाई निवासी संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

दिनांक 06.06.2016

26/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितिः—

श्री जसराम टाक अभिभाषक अपीलांट

श्री सतविन्द्र गिल अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 26.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 188 पेश कर चक 2 के. के. के मु.नं. 20 की 1.581है0 व मु.नं. 27 की 3.163 है0 कुल 4.661 है0 में वादी की 0.759है0 भूमि की घौषणा किये जाने का एवं किलावाईज वंटवारा किया जाने का निवेदन किया। वाद का जबाब मय कांउटरक्लेम प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा पेश किया एवं कांउटरक्लेम का जबाब वादी द्वारा पेश किया गया। दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित 6 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 02.02.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये एवं तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश दिये। विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 06.06.2016 को अन्तिम डिक्री जारी की गई जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह डिक्री जारी की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली सीधे ही राजस्व अभियान में रख दी। अधी. न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये थे। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर विभाजन प्रस्ताव अधी. न्यायालय में भिजवा दिये। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधी. न्यायालय ने पक्षकारों को सुने

26/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बिना ही अन्तिम डिक्री जारी कर दी। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के अलावा अन्य सहखातेदार सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। इस प्रकार अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधी. न्यायालय ने अन्तिम डिक्री जारी की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के निर्णय दिनांक 06.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा वाद पत्र धारा 53, 88, 188 राज.काश्त.अधि. 1955 का दावा तोता सिंह की स्वअर्जित खरीदशुदा 9.5 बीघा भूमि की वसीयत अपने पुत्रों 6.5 बीघा भूमि बलवीर सिंह, 3 बीघा भूमि मंगल सिंह के नाम करने के आधार पर दावा डिक्री किया है को अपील के अन्तर्गत चुनौती दी है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी तोता सिंह व उसके भाई जगरूप सिंह द्वारा संयुक्त रूप से जरिये बैयनामा क्रय करना जाहिर किया तोता सिंह की मृत्यु होना पत्रावली पर जाहिर है जगरूप सिंह का ला औलाद फौत होना तहसीलदार पदमपुर की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./वि.प्र./16/1130/18.04.16 से प्रमाणित है। अपील का आधार विवादित आराजी बाबत की गई वसीयत है। उपरोक्त में तोता सिंह द्वारा की गई वसीयत के आधार पर तो अधी. न्यायालय द्वारा निर्णय लेकर धारा 88, 53, 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। परन्तु जगरूप सिंह का खाता बदस्तूर रखा है। legal default है जबकि जगरूप सिंह की वसीयत अधी. न्यायालय में परीक्षित हुई के अलावा अपीलांट की आपत्तियां की अधी. न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.05.2016 में पत्रावली विभाजन प्रस्ताव

26/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

की बहस के लिये दिनांक 04.05.2016 को नियत की परन्तु नियत आदेशिका के हवाले के बगैर पत्रावली सीधे ही दिनांक 06.06.2016 को नियत होकर निर्णय हुआ, परन्तु डिक्रिया 03.06.2016 निर्णय से पूर्व होना पत्रावली पर उपलब्ध है को न मानने का कोई कारण नहीं है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.06.2016 निरस्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि पत्रावली पर उपलब्ध तनकीयात पर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण के आधार पर तोता सिह व जगरूप सिंह की आराजी बाबत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

26/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर